न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या – 2/2021

प्रार्थीः–

1. फतेहसिंह पुत्र भीमसिंह उम्र 61 जाति राजपुत निवासी सेवाड़ी तहसील बाली जिला पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण

1. सुतार जसूकुमारी पुत्री श्री गणपतलाल जी जाति सुथार निवासी बाली जिला पाली राजस्थान
2. सुरेश रावल पुत्र नारायण लाल रावल
3. शकुंतला देवी पत्नी सुरेश कुमार
4. जतनो देवी पत्नी नारायणलाल जी जातिगण समस्त रावल निवासीगण गांव सेवाड़ी तहसील बाली जिला पाली राजस्थान
5. कार्यालय विहित प्राधिकारी (तहसीलदार) बाली जिला पाली राज.
6. राजस्थान सरकार (भुमिधारी) जरिये श्रीमान तहसीलदार बाली जिला पाली

उपस्थितिः–

1. श्री नवीन कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र सोलंकी, अपार्थी संख्या एक

स्थगन प्रार्थना पत्र

दिनांक 25-06-2021

–:आदेशः–

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र धारा 81 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुल अपील में वर्णित तथ्यों के मदय नजर प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में है यदि प्रार्थी की स्वयं की खरीदसुदा कब्जा मालिकानासुदा, हक हकूक सुदा कृषि भूमि का नुमाईशी बेचाण व नियमों के खिलाफ कर्न्वजन आदेश पारित कर उस की पालना कर ओर आगे से आगे बेचाण तथा हस्तांतरण कर दिया जाता है तो अपुर्णीय क्षति अपीलांट को होगी।

अपीलाधीन खसरे की भूमि को अपीलांट फतेसिंह, भीमसिंह, मूलसिंह, ओटसिंह द्वारा दिनांक 13.07.1962 को पंजीयन बेचाण से 1/6 वां हिस्सा विवाग्रस्त खसरा नंबर 2003 सहित अन्य खसरान नंबर की भूमि को खरीद किया गया तथा उसका कब्जा प्राप्त किया गया,

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

अतः यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वज्ञरा प्रस्तुत उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी (तहसीलदार) बाली जिला पाली राजस्थान आदेश क्रमांक एफ.12 (3)() राज. /सप/2021/141 दिनांक 10.02.2021 द्वारा पारित आदेश की पालना प्रभाव व क्रियांवति को मुल अपील के निस्तारण तक स्थगित किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर बहस हेतू निवेदन किया जिस पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के द्वौरान प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये निवेदन किया कि मुल अपील में वर्णित तथ्यों के मद्य नजर प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थी के पक्ष में है यदि प्रार्थी की स्वयं की खरीदसुदा कब्जा मालिकानासुदा, हक हकूक सुदा कृषि भूमि का नुमाईशी बेचाण व नियमों के खिलाफ कर्न्वजन आदेश पारित कर उस की पालना कर ओर आगे से आगे बेचाण तथा हस्तांतरण कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपुर्णीय क्षति होगी। जिसका मुल्यांकन किसी भी रूप में संभव नहीं है।

द्वितीय दलील यह पेश कि की प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरे की भूमि को प्रार्थी फतेसिंह, भीमसिंह, मूलसिंह, ओटसिंह द्वारा दिनांक 13.07.1962 को पंजीयन बेचाण से 1/6 वां हिस्सा विवाग्रस्त खसरा नंबर 2003 सहित अन्य खसरान नंबर की भूमि को खरीद किया गया तथा उसका कब्जा प्राप्त किया गया, परन्तु प्रार्थी व उक्त अन्य परिवारजन खरीदारान का नाम उक्त खसरे की भूमि में दर्ज नहीं हुआ। तत्पश्चात दिनांक 27.10.1964 को म्युटेशन संख्या 214 नारायण लाल वगैरह द्वारा व अन्य द्वारा अपने पक्ष में स्वीकृत करवा दिया। प्रार्थी वगैरह को उक्त म्यूटेशन स्वीकृत होने की जानकारी होने पर एक म्यूटेशन अपील श्रीमान एसडीएम साहब पाली के पास पेश की जिसकी अपील संख्या 10/2014 है। अपील दर्ज होने के बाद उसका निर्णय प्रार्थी के पक्ष में पारित किया गया तथा म्युटेशन संख्या 214 खारिज किया गया तथा इसके विरूद्ध भीकसिंह के वारिसान सुरेश कुमार द्वारा अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष पेश की गई, जो दिनांक 13.10.2016 को पुनः प्रतिप्रेषित की गई। इस खसरा नंबर की भूमि अपील के जरिये चेलेंज होने के बाद विवादित थी तथा हक हकूक नारायण लाल वगैरह के नही थे, परन्तु इनके द्वारा उक्त कृषि भूमि का नाम अपने नाम दर्ज करवा दिया।

तृतीय दलील यह पेश कि की जमांबदी में नाम दर्ज रहने से सहायक कलेक्टर बाली के यहां एक वाद अंतर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट का बअनवान स्वर्गीय चुना के

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

परन्तु अपीलांट व उक्त अन्य परिवारजन खरीदारान का नाम उक्त खसरे की भूमि में दर्ज नहीं हुआ। तत्पश्चात दिनांक 27.10.1964 को म्युटेशन संख्या 214 नारायण लाल वगैरह द्वारा व अन्य द्वारा अपने पक्ष में स्वीकृत करवा दिया। अपीलांट वगैरह को उक्त म्यूटेशन स्वीकृत होने की जानकारी होने पर एक म्यूटेशन अपील श्रीमान एसडीएम साहब पाली के पास पेश की जिसकी अपील संख्या 10/2014 है। अपील दर्ज होने के बाद उसका निर्णय अपीलांट के पक्ष में पारित किया गया तथा म्युटेशन संख्या 214 खारिज किया गया तथा इसके विरुद्ध भीकसिंह के वारिसान सुरेश कुमार द्वारा अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष पेश की गई, जो दिनांक 13.10.2016 को पुनः प्रतिप्रेषित की गई। इस खसरा नंबर की भूमि अपील के जरिये चेलेंज होने के बाद विवादित थी तथा हक हकूक नारायण लाल वगैरह के नही थे, परन्तु इनके द्वारा उक्त कृषि भूमि का नाम अपने नाम दर्ज करवा दिया।

जमांबदी में नाम दर्ज रहने से सहायक कलेक्टर बाली के यहां एक वाद अंतर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट का बअनवान स्वर्गीय चुना के वारिसान वगैरह बनाम स्वर्गीय वेला के वारिसान वगैरह का दावा पेश हुआ, जिसके वाद दिनांक 27.08.2019 को तथा अंतिम डिक्री दिनांक 04.09.2019 को जारी की गई। इसमें अपीलाण्ट को व अन्य खरीदारान को पक्षकारन नहीं बनाया गया तथा बेचाणकर्ता भीकसिंह के वारिसान है, इनको पक्षकार बनाया गया व नारायण के वारिसान इत्यादि पक्षकार थे व इनके द्वारा दुर्भीसिंधी कर बंटवाड़े की डिक्री प्राप्त कर ली गई। इसकी जानकारी अपीलांट को होने पर अपीलांट द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के यहां एक अपील पेश की गई। इस अपील में अपीलांट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी सुदा है तथा रेस्पोडेन्ट को उक्त अपील चलने की जानकारी है। उक्त जानकारी होने के बावजूद भी तथा स्थगन आदेश होने के बावजूद भी दिसम्बर 2020 में कर्न्वजन हेतू आवेदन पेश किया तथा विवादित भूमि का संपरिवर्तन आदेश प्राप्त किया, चूंकि तहसीलदार बाली उक्त अपील में पक्षकार थे एवं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में भी पक्षकार थे। जिससे पक्षकार होने बावजूद एवं जानकारी होने के बावजूद भूमि का कर्न्वजन आदेश बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाएं पारित कर दिया जो आदेश विधि के प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है

अंकित डिक्री के बाद खसरों के बट्टा नम्बर होकर नारायण के एक खसरा बट्टा संख्या 3923/2003 रकबा 0.25 हैक्टर भूमि अलग कर दी गई व भूमि अलग होने के बाद नुमाईशी बेचाण (ट्रांस्फर) अपीलांट संख्या2,3 व 4 के पक्ष में करवा दिया गया तथा उक्त व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि को आगे रेस्पोडेस्ट संख्या 1 के पक्ष में पंजीयन बेचाण कर दिया। उक्त भूमि विवादित थी तथा तथ्यों को छूपाकर बेचाण कर दिया। राजस्व न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार को बाधित करने के लिए उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया है जो विधिक के प्रावधानों के विपरित है।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

वारिसान वगैरह बनाम स्वर्गीय वेला के वारिसान वगैरह का दावा पेश हुआ, जिसके वाद दिनांक 27.08.2019 को तथा अंतिम डिक्री दिनांक 04.09.2019 को जारी की गई। इसमें प्रार्थी को व अन्य खरीदारान को पक्षकारन नहीं बनाया गया तथा बेचाणकर्ता भीकसिंह के वारिसान है, इनको पक्षकार बनाया गया व नारायण के वारिसान इत्यादि पक्षकार थे व इनके द्वारा दुर्भीसिंधी कर बंटवाड़े की डिक्री प्राप्त कर ली गई। इसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के यहां एक अपील पेश की गई। इस अपील में प्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश जारी सुदा है तथा अप्रार्थीगण को उक्त अपील चलने की जानकारी है। उक्त जानकारी होने के बावजूद भी तथा स्थगन आदेश होने के बावजूद भी दिसम्बर 2020 में कर्न्वजन हेतू आवेदन पेश किया तथा विवादित भूमि का संपरिवर्तन आदेश प्राप्त किया, चूंकि तहसीलदार बाली उक्त अपील में पक्षकार थे एवं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में भी पक्षकार थे। जिससे पक्षकार होने बावजूद एवं जानकारी होने के बावजूद भूमि का कर्न्वजन आदेश बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाएं पारित कर दिया जो आदेश विधि के प्रावधानों के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है

चथुर्त दलील यह पेश कि की अंतिम डिक्री के बाद खसरों के बट्टा नम्बर होकर नारायण के एक खसरा बट्टा संख्या 3923/2003 रकबा 0.25 हैक्टर भूमि अलग कर दी गई व भूमि अलग होने के बाद नुमाईशी बेचाण (ट्रांस्फर) अपीलांट संख्या 2,3 व 4 के पक्ष में करवा दिया गया तथा उक्त व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि को आगे रेस्पोडेस्ट संख्या 1 के पक्ष में पंजीयन बेचाण कर दिया। उक्त भूमि विवादित थी तथा तथ्यों को छूपाकर बेचाण कर दिया। राजस्व न्यायालय के सुनवाई के क्षैत्राधिकार को बाधित करने के लिए उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया है जो विधिक के प्रावधानों के विपरित है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय विहित प्राधिकारी (तहसीलदार) बाली जिला पाली राजस्थान आदेश क्रमांक एफ.12 (3)() राज./सप/2021/141 दिनांक 10.02.2021 द्वारा पारित आदेश की पालना प्रभाव व क्रियांवति को मुल अपील के निस्तारण तक स्थगित किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खरीद सुदा जमीन 13-07-1962 में खरीद तत्पश्चात् इनके नामांतरकरण भी स्वीकृत करवा दिया तथा कब्जा भी प्राप्त किया गया। उसके बाद इसी के आधार पर सम्पूर्ण राजस्व कार्यवाही भी सम्पन्न हुई। दिनांक 13-07-1962 के पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न राजस्व शिविर आयोजित किये गये। जिसमें भी प्रार्थी का केई मामला सामने नही आया। अथवा कोई कार्यवाही इनके द्वारा नहीं की गई तथा प्रत्येक माह की 5 व 20 तारीख को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सभा भी आयोजित की जाती है उक्त सभा में राजस्व विभाग के

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

कर्मचारी भी उपस्थित होते है। तथा राजस्व से संबंधित सारी अपेक्षित कार्यवाही करते है। अतः प्रार्थी द्वारा पस्तुत स्थगन प्रार्थना खारिज फरमावें।

6. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया।

खातेदार के द्वारा अपनी अभिलिखित रिकार्डेड जमीन का नियमानुसार बंटवाड़ा करवाकर के पृथक खाता संधारित किया। उसके पश्चात् अलग से खाता व खसरा नंबर एवं रकबा पृथक करने के पश्चात् तहसीलदार के द्वारा नियमानुसार संपरिवर्तन की औपचारिकताएं करके संपरिवर्तन किया गया है। अतः अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध स्थगन दिया जाने के आधार नही होता।

स्थगन प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की गई कि अगर स्थगन नही दिया तो अपुर्णीय क्षति होगी। इस बिन्दु पर अप्रार्थी संख्या 1 एक वकील ने कहा कि प्रार्थी अपनी भुमि पर काबिज है तथा काश्त कर रहा है। अतः प्रार्थी को किसी भी प्रकार से कोई भी अपुर्णीय क्षति होने की संभावना नहीं है। प्रार्थी का यह दलील देना की उसको अपुर्णीय क्षति होगी सिद्ध नही कर पाया। अतः द्वितीय बिन्दु पर भी उसकी प्रार्थना का आधार नहीं है।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि सुविधा संतुलन का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में जाता है। इसक जवाब में अप्रार्थी वकील ने बताया की अप्रार्थी रिर्कोडेड खातेदार है। राजस्व विभाग के द्वारा नियमानुसार लगान अदा करना एवं राजस्व राजस्व की राजस्व विभाग के दिये गये सभी कर्तव्य का अप्रार्थी के द्वारा निवर्हन किया जा रहा है। अतः सुविधा संतुलन का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में नही जाता है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाते है। अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 81 आर. एल.आर एक्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने एवं सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल अपील के साथ नत्थी किया जावे।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 25/06/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)